फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
मुकाम
रामचन्द्र नायक बनाम रामलाल नायक
रस्म मुकदमा ५।५४
नं. 98 सन् 17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	15-2-18 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष वकील उप०। विगत आदेशिका की पालना में वादी वकील जवाब उप जवाब प्रस्तुत हेतु समय चाहते है अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब उप जवाब हेतु दि 27-3-18 को पेश हो।	
27/3/18	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित/अनुपस्थित संस्था द्वारा कार्यस्थगित करने का अनुरोध किया/स्वीकार किया जाता है पत्रावली दिनांक 10/5/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा	

30.05.2018
पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम कुण्डियाकंला में पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता वक्त शिविर उपस्थित। विपक्षीगण/अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में वर्णित विवादित आराजीयात ग्राम कुण्डियाकंला पटवार हल्का कुण्डियाकंला भू0अ0निरीक्षक डाबला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 953 के **आराजी सख्यां 1312 रकबा 02–09 बीघा** आराजीयात जो वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई।

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म के... में जारी
	बहस के दौरान प्रार्थीगण द्वारा कथन कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपभोग उपयोग करते चले आ रहे है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर जबरन कब्जा करने की नीयत से आये दिन विवाद पैदा करते है, व बेदखली का प्रयास करते है। जिनका कि विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 को कानूनन हक अधिकार नही है। यदि भविष्य में विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी एंव वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनज़र रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः ग्राम कुण्डियाकंला पटवार हल्का कुण्डियाकंला भू0अ0निरीक्षक डाबला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 953 के **आराजी सख्यां 1312 रकबा 02–09 बीघा** में मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विगत सुनवाई दिनांक 13.07.2017 को प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर, विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे।	